न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 143/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. हीरा पिता हगजी सालवी (बलाई), निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रूपलाल पिता देवाजी सालवी (बलाई), निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रोडीलाल पिता देवाजी सालवी (बलाई), निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. कन्हैयालाल पिता देवाजी सालवी (बलाई), निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मांगीलाल पिता देवाजी सालवी (बलाई), निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. धूला पिता भेरा जी सालवी (बलाई), निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. हीरालाल पिता कुरा जी मेघवाल, निवासी वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 22.06.2017 प्र.सं. 153/08

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 24–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88,

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वसु में आराजी नंबर 1505 रकबा 0.0150 हैक्टर स्थित होकर प्रतिवादी के नाम अंकित है। उक्त जमीन बाबत् वादीगण के पिता देवा व प्रतिवादी के बीच आपसी राजीनामा होकर आराजी नंबर 1505 में ही पानी होना बताकर तीनों द्वारा शामलाती कुंआ खोदा गया, जिसमें तीनों का अर्थात एक हिस्सा देवा का, एक हिस्सा हीरा का व एक हिस्सा धुला कर रखा गया, किन्तु राजस्व रेकार्ड में जमीन प्रतिवादी के नाम पर ही चलती रही, जबकि 2/3 भाग पर वादी हीरा व अन्य वादीगण के पिता देवा का ही कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वे खातेदार हो चुके हैं। प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ जाने से भूमि बेचना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को उक्त शामलाती कुए में 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी धूला द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा जवाबदावे के विशेष उत्तर में निवेदन किया कि उनके द्वारा दिनांक 02–05–2008 को विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय हीरालाल पिता कुरा मेघवाल को कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है एवं अब वादग्रस्त भूमि का तन्हा एकमात्र मालिक हीरालाल बन चुका है। वर्तमान में प्रतिवादी खातेदार काश्तकार नहीं होने से वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 22–06–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता अपीलान्टगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायालय में चल रही कार्यवाही की सच्ची प्रतियां हैं एवं अंतिम निर्णय पर

पहुंचने के लिए इन्हें साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जावें।

हमारे द्वारा उक्त दस्तावेजों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का बिना अवलोकन किये निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने निगरानी राजस्व मण्डल में कर रखी है एवं वहां से पत्रावली को तलब किया हुआ था, किन्तु पत्रावली वहां पर नहीं भेजकर प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण वादी की साक्ष्य एवं जिरह में नियत था तथा निरन्तर 22 पेशियों पर मात्र न्यायालय की छाप लगी होकर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा दिनांक 26–04–2017 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने का अंकन करते हुए दिनांक 08–05–2017 की पेशी नियत की गयी, किन्तु दिनांक 08–05–2017 के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 22–06–2017 को राजस्व कैम्प में रखा जाकर मात्र वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थित में निर्णय पारित कर दिया गया, अन्य वादीगण को उक्त दिनांक की सूचना न्यायालय द्वारा दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्लीडिंग्स के अनुसार तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने 7 पक्षकारों में से मात्र 2 पक्षकारों की उपस्थिति में प्रकरण साक्ष्य/जिरह में लम्बित होने के बावजूद निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली

अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के अनुसार तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 24–02–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.22**.....माह.....**.10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2019.12.30 12:12:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: